RTI LETTER
SPEED POST

समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली–110002

(विकलांग कल्याण शाखा)

F.No. 82/998/RTI/AD-III/DSW/2014/ Dated:

सेवा में,

श्री चतुर सिंह नेगी
पता– 248 बी., लाजपत नगर,
साहिबाबाद, गाजियाबाद,
उत्तर प्रदेश–201005.

विषयः सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना ;
सन्दर्भः आई.डी. नं.201429/आर.टी.आई. शाखा/स.क.वि./2014–15 दिनांकः 05.05.2014.

श्रीमान्,

इस कार्यालय में जन सूचना अधिकारी/वरिष्ठ अधीक्षक, आर.टी.आई.सेल, समाज कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के पत्र संख्या आई.डी.201429/आर.टी.आई.शाखा/स.क.वि./2014–15/1414, दिनांकः 06.05.2014 में आपके द्वारा माँगी गयी सूचना विकलांग कल्याण शाखा में दिनांकः 07.05.2014 को प्राप्त हुआ। इस सन्दर्भ में आपको यह सूचित किया जाता है कि इस विभाग के विकलांग कल्याण शाखा के अन्तर्गत उपलब्ध सूचना की जानकारी के निम्न है :–

क.सं.	प्रश्न	उत्तर
1.	महोदय रवि शंकर सिंह नेगी जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष की है, जो 75 प्रतिशत मन्दबुद्धि है अपने पिताजी के पास दिल्ली राज्य पालम एरिया के राज नगर में रहते हैं इस बच्चे को पेन्शन लाभ मिल सकता है या नहीं इस सन्दर्भ में इसकी सूचना दी जाय।	इस प्रश्न का जबाव समाज कल्याण के आर्थिक सहायता अनुभाग से संबंधित है, उन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है।
2.	महोदय पेन्शन लाभ पाने के लिए क्या–क्या प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी इसकी सूचना दी जाये।	इस प्रश्न का जबाव समाज कल्याण के आर्थिक सहायता अनुभाग से संबंधित है, उन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है।
3.	महोदय पेन्शन लाभ के लिए इस बच्चे के पिता जी का दिल्ली राज्य का मतदाता परिचय पत्र व आधार कार्ड बना है दोनों में परिचय पत्र व निवास स्थान का पता लिखा ये दोनों मान्य होंगे या इनसे अलग प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी इसकी विस्तृत में सूचना दी जाय।	इस प्रश्न का जबाव समाज कल्याण के आर्थिक सहायता अनुभाग से संबंधित है, उन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है।

4.	महोदय जो भी प्रमाण पत्र जमा करने होते हैं किन–किन अधिकारी महोदय द्वारा सत्यापित कराना होता है, इसकी सूचना दी जाय।	इस प्रश्न का जबाव समाज कल्याण के आर्थिक सहायता अनुभाग से संबंधित है, उन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है।
5.	महोदय पेन्शन पाने के लिए कौन से फार्म भरना पड़ता, किस कार्यालय से प्राप्त होगा इसकी सूचना दी जाय।	इस प्रश्न का जबाव समाज कल्याण के आर्थिक सहायता अनुभाग से संबंधित है, उन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है।
6.	महोदय पेन्शन पाने के लिए सभी प्रमाण पत्र जमा होने के उपरान्त कितने दिनों के अन्दर पेन्शन लाभ मिलना शुरू हो जाती है इसकी सूचना दी जाय।	इस प्रश्न का जबाव समाज कल्याण के आर्थिक सहायता अनुभाग से संबंधित है, उन्हें उपयुक्त कार्रवाई के लिए स्थानान्तरित कर दिया गया है।
7.	महोदय इस प्रकार के मन्दबुद्धि बच्चों के लिए यात्रा के दौरान दिल्ली मैट्रो सेवा व दिल्ली सरकार के ट्रांसपोट सर्विस में सुविधा दी जाती है या नहीं अगर दी जाती है तो इस लाभ को पाने के लिए क्या–क्या करना होगा इसकी सूचना दी जाय।	दिल्ली सरकार के ट्रांसपोट सर्विस में विकलांग व्यक्तियों के लिए डी.टी.सी. पास की सुविधा दी जाती है, अधिक जानकारी के लिए अपने निकटतम डी.टी.सी. पास विभाग के कार्यालय से सम्पर्क करें।
8.	महोदय इस प्रकार के मन्दबुद्धि बच्चों के लिए सरकारी व गैर गैर सरकारी किसी भी सहायता के बारे में जानकारी का पता करना है, इससे सम्बन्धित अधिकारी महोदय जी के सम्पर्क नम्बर व कार्यालय का पता देने की सूचना दी जाय।	समाज कल्याण विभाग प्रत्येक वर्ष विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य एवं विशेष विकलांग कैम्प का आयोजन करता है, जिसमें विकलांगों को मुफ्त सहायक उपकरण, डी.टी.सी. पास, पहचान पत्र, विकलांग प्रमाण–पत्र आदि सुविधाएँ प्रदान करता है। विकलांग जन कल्याण हेतु मार्गदर्शन पत्रिका संलग्न है। Annexure (A) मन्दबुद्धि क्षेत्र में कार्य कर रही गैर सरकारी संस्थाओं की सूची संलग्न है। Annexure (B)

यदि, आप इस जवाब से सन्तुष्ट न हों तो फर्स्ट अपीलेट ऑथोरिटी/अतिरिक्त निदेशक, समाज कल्याण विभाग, जी. एल. एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली से सम्पर्क कर सकते हैं।

भवदीय

11/5

(कृष्ण कुमार)
जन सूचना अधिकारी/सहायक निदेशक
(विकलांग कल्याण शाखा)

Annexure 'A'

Bhagidari

मेरी दिल्ली
मैं ही संवारूं

नि:शक्त

जन कल्याण हेतु मार्गदर्शन

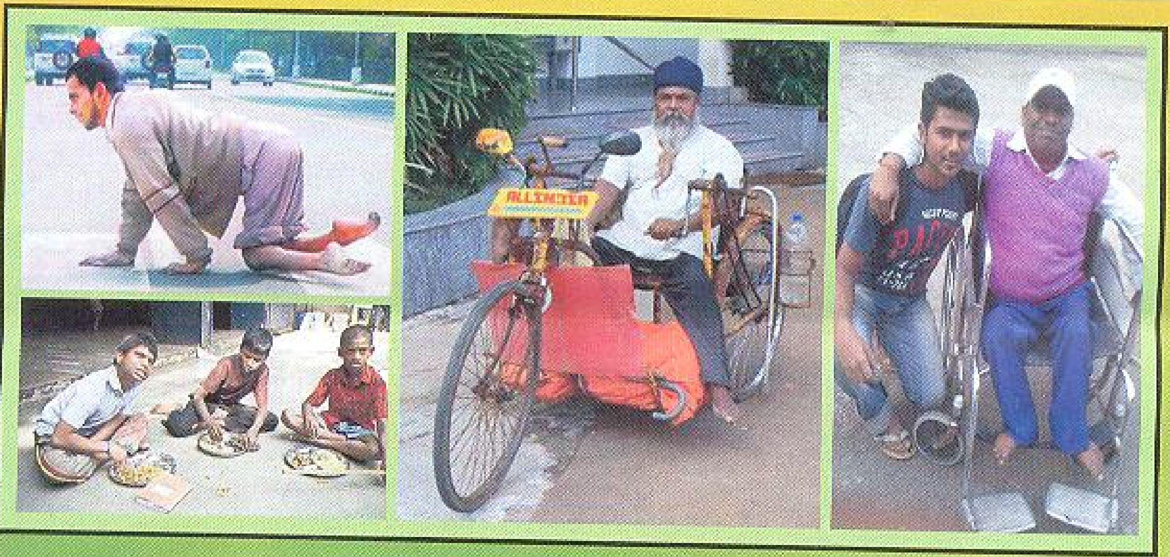

WE CARE
YOU SHARE

समाज कल्याण विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
जी.एल.एन.एस. परिसर, दिल्ली गेट, नई दिल्ली-110002
वेबसाइट: socialwelfare.delhigovt.nic.in
ईमेल: dsw@nub.nic.in

दिल्ली सरकार

विकलांग व्यक्ति

दिल्ली में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 लागू है जो कि विकलांग व्यक्तियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा लाया गया है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 2(i) के अनुसार निम्नलिखित श्रेणियां विकलांगता के अंतर्गत परिभाषित है (i) अन्धता, (ii) कम दृष्टि (iii) कुष्ट रोग मुक्त (iv) श्रवण शक्ति का ह्रास (v) चलन विकलांगता (vi) मानसिक मंदता (vii) मानसिक रूग्णता

नि:शक्त/विकलांग व्यक्ति कौन है ?

उपरोक्त अधिनियम की धारा 2 के अनुसार नि:शक्त/विकलांग व्यक्ति वह है जिसकी विकलांगता 40 प्रतिशत या 40 प्रतिशत से अधिक हो। इस प्रतिशत को एक सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित करेगा। दिल्ली में 18 अस्पतालों में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी यह प्रमाण पत्र देते है।

1. शारीरिक विकलांगता

(कुष्ठ रोग मुक्त और चलन विकलांगता) इस प्रकार की दोनों विकलांगताओं को उपरोक्त अधिनियम की धारा 2(n) और 2(o) में परिभाषित किया गया है। धारा (n) के अनुसार कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कुष्ठ से रोग मुक्त हो गया है किन्तु -

(i) हाथों या पैरों में संवेदना की कमी और नेत्र और पलक में संवेदना की कमी और आंशिक घाव से ग्रस्तहै किंतु प्रकट विकृति/विरूपता से ग्रस्त नहीं है।

(ii) प्रकट विरूपता और आंशिक घाव से ग्रस्त है किन्तु उसके हाथों और पैरों में पर्याप्त गतिशीलता है, जिससे वह सामान्य आर्थिक क्रियाकलाप कर सकता है।

(iii) अत्यंत शारीरिक विरूपता और अधिक वृद्धावस्था से ग्रस्त है, जो उसे कोई भी लाभपूर्ण उपजीविका चलाने से रोकती है।

कुछ व्यक्ति जन्म से ही शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो जन्म से ही कोई विकृत अंग लेकर पैदा हुए हों या शारीरिक रूप से बाधित व्यक्ति को विशेष पद्धति की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उनके शारीरिक अंगों की न्यूनता को पूरा करने के लिए विशेष उपकरण तथा कृत्रिम अंग लगाने की आवश्यकता होती है जिसके लिए विशेषज्ञों तथा कुछ विशेष संस्थाओं से संपर्क साधकर परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

शारीरिक विकलांगता की पहचान

1. क्या आपका बच्चा ठीक से चल फिर नहीं सकता।
2. क्या आपका बच्चा पोलियो से ग्रस्त है।
3. क्या आपके बच्चे में लुंजिता का विकार दिखाई देता है।
4. क्या आपके बच्चे के हाथ अक्रियाशील रहते हैं।
5. क्या आपका बच्चा अनावश्यक रूप से उचक-उचक कर चलता है।
6. क्या आपके बच्चे की पीठ में कुबड़ है।

2. बधिर विकलांगता (श्रवण शक्ति का ह्रास)

उपरोक्त अधिनियम की धारा 2(I) के अनुसार श्रवण शक्ति का ह्रास का अर्थ है संवाद सम्बन्धी रेंज की आवृत्ति में बेहतर कान में 60 डेसीबल या अधिक की ध्वनि।

बधिरता के लक्षण

1. जो बच्चा दूसरों की बात को समझने के लिए जरूरत से ज्यादा समय लेने लगता है।
2. वह कक्षा कार्य में रूचि नहीं लेता है।
3. वह अपने में ही खोया रहता है।
4. वह इशारों से, कही हुई बात को बार-बार दोहराने को कहता है।
5. वह ओष्ठ पठन की ओर ज्यादा ध्यान देने लगता है। होठों का अधिक प्रयोग करता है।
6. वह पूछे गए प्रश्नों का उत्तर ठीक से नहीं दे पाता।

3. नेत्रहीनता (अंधता और कम दृष्टि)

उपरोक्त अधिनियम की धारा 2(b) के अनुसार 'अंधता' उस अवस्था को कहते है जहाँ कोई व्यक्ति निम्नलिखित अवस्था में से किसी से ग्रस्त है, अर्थात:

1. दृष्टि का पूर्ण अभाव, या
2. सुधारक लैंसों के साथ बेहतर नेत्र में दृष्टि की तीक्षणता जो 6/60 या 20/200 (स्वैलन) से अधिक न हो, या
3. दृष्टि क्षेत्र की सीमा जो 20 डिग्री कोण वाली या उससे बेहतर है। धारा 22(u) के अनुसार कम दृष्टि वाला व्यक्ति से तात्पर्य एक ऐसे व्यक्ति से है, जिसके उपचार के पश्चात् दृष्टि क्षमता में कमी तो हो परन्तु चश्मे या अन्य विधियों की सहायता से अपना कार्य निष्पादन करने में समर्थ है।

पहचान/लक्षण

1. रात्रि या कम रोशनी में देखने में कठिनाई।
2. पढ़ने या वस्तु पहचानने में कठिनाई।
3. विभिन्न रंगों को पहचानने में असमर्थता।
4. सड़क पर अथवा किसी नए स्थान पर चलने में कठिनाई का अनुभव करना।

4. मानसिक मंदता और मानसिक रूग्णता

उपरोक्त अधिनियम की धारा 2(r) के अनुसार मानसिक मंदता का अर्थ है किसी व्यक्ति के चित्त की अपूर्ण विकास की अवस्था जो विशेष रूप से बुद्धि की सामान्य से नीचे स्तर की उपस्थिति/असमान्यता द्वारा अभिलक्षित होती है। धारा 2(q) के अनुसार 'मानसिक रूग्णता' के मानसिक मंदता के भिन्न अन्य कोई मानसिक विकार अभिप्रेत है।

पहचान/लक्षण

1. बच्चे का सिर सामान्य से बड़ा होना।
2. सामान्य/साधारण बच्चे की तरह व्यवहार न करना अर्थात् हंसना/भाव व्यक्त करना।
3. किसी वस्तु पर बहुत समय तक आंख ना टिका पाना।
4. अशांत रहना या एक स्थान पर अधिक समय तक न बैठ पाना।
5. स्पष्ट शब्दों में न बोल पाना।
6. सुनने के बाद भी निर्देशों का पालन न करना।
7. बचपन में उठना-बैठना देर से करना।

मानसिक रूप से बाधित व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर प्रशिक्षित किया जा सकता है और किसी व्यवसाय में लगाया जा सकता है। यदि किसी बच्चे में मानसिक रोग के लक्षण प्रारम्भ में प्रकट होने लगे तब उसको मानसिक रोग.........

विकलांगता प्रमाण पत्रों और पहचान पत्र का विवरण

विकलांग व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिल्ली सरकार ने निम्नलिखित 18 अस्पतालों को नामित किया है। विकलांग व्यक्ति सम्बन्धित अस्पताल से संपर्क कर सकते है -

1	लोक नायक अस्पताल	10	हिंदू राव अस्पताल
2	अरूणा आसफ अली अस्पताल	11	सत्यवादी राजा हरीशचन्द्र अस्पताल
3	दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल	12	जग प्रवेश चन्द्रा अस्पताल
4	गुरू गोविंद सिंह राजकीय अस्पताल	13	पण्डित मदन मोहन मालवीय अस्पताल
5	संजय गांधी स्मारक अस्पताल	14	राव तुला राम स्मारक अस्पताल
6	बाबू जगजीवन राम स्मारक अस्पताल	15	डा. हेडगेवार आरोग्य संस्थान
7	लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल	16	डा. बाबा साहब अम्बेडकर अस्पताल
8	राव तुला राम स्मारक अस्पताल	17	भगवान महावीर अस्पताल
9	गुरू तेग बहादुर अस्पताल	18	महर्षि वाल्मिकी अस्पताल

मानसिक रूप से विकलांग को प्रमाण पत्र देने के लिए तीन मेडिकल बोर्ड बनाए गए है:-

1. इहबास, शाहदरा
2. जी.बी.पंत अस्पताल

इसके अतिरिक्त विकलांगता पहचान पत्र जो कि सरकार की विभिन्न सुविधाओं के लिए आवश्यक है, हर एक जिला उपायुक्त कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संबंधित उपखण्ड दण्डाधिकारी (SDM) के कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं।

दिल्ली में विकलांग व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 लागू है। उपरोक्त अधिनियम की धारा 60 के तहत आयुक्त (विकलांग) की नियुक्ति की गयी है, जिनका पता निम्न है:-

आयुक्त, (विकलांग)

1. केनिंग लेन, कस्तूरबा गांधी मार्ग
   दिल्ली सरकार, नई दिल्ली-01
   फोन नं. 23073869

दिल्ली सरकार ने विकलांग बेरोजगार व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार कार्यालय का गठन किया है। जिनका विवरण निम्नलिखित है:-

1. विशेष रोजगार कार्यालय, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली, फोन नं 23389717
2. विशेष रोजगार कार्यालय, इन्सटीच्युशनल एरिया, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फोन नं. 22386022

विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के लिए संस्था का गठन किया गया है, जिसका विवरण निम्न है:-

दिल्ली एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./हैण्डिकैप्ड फिनांसियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, अम्बेडकर भवन, रोहिणी, सेक्टर-16, दिल्ली।

परिपालन में भारत सरकार ने मुख्य आयुक्त (विकलांग व्यक्तियों के लिए) के पद का सृजन किया है, जिनका पता निम्नलिखित है-

आयुक्त (विकलांग), दिल्ली सरकार, चौथा तल, सी-स्कंध, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली। फोन 23392075 फैक्स 23392353

साथ ही दिल्ली सरकार ने उपरोक्त अधिनियम की धारा 62 के अधीन प्रकार्यों के निर्वाह के लिये सभी 11 जिला उपायुक्त को अतिरिक्त आयुक्त (विकलांग) नामित किया है ताकि विकलांग व्यक्ति एक विकेन्द्रित व्यवस्था के तहत अपनी समस्याओं, अधिकारों और विभेद से संबंधित मामलों को निकटतम स्तर और दूर पर सुविधापूर्वक सुनवाई हेतु ले जा सके।

1.	उपायुक्त (उत्तर), कृपा नारायण मार्ग, नई दिल्ली	23943048
2.	उपायुक्त (मध्य), रोजगार बिल्डिंग, दरियागंज, नई दिल्ली	23282903
3.	उपायुक्त (दक्षिण), बीडी ऑफिस, अनुपम अपार्टमेंट के समीप, एम बी रोड़, साकेत, नई दिल्ली	26528796
4.	उपायुक्त (दक्षिण पूर्वी), बीडी आफिस, अनुपम अपार्टमेंट के समीप, एम बी रोड, साकेत, नई दिल्ली	26528796
5.	उपायुक्त (नई दिल्ली), जाम नगर हाऊस, नई दिल्ली	23389549
6.	उपायुक्त (दक्षिण पश्चिम), एडमेन बिल्डिंग, पुरानी टर्मिनल टैक्स बिल्डिंग, कापसहेड़ा, नई दिल्ली	25065633
7.	उपायुक्त (पश्चिमी), एमसीडी बिल्डिंग, रामपुरा, नई दिल्ली	22421656
8.	उपायुक्त (उत्तर-पूर्वी) डीएसआईडीसी कॉम्पलेक्स, नंद नगरी, दिल्ली	22122732
9.	उपायकुत् (पूर्वी), आईएएफसी बिल्डिंग, एलएम बांध, शास्त्री नगर, दिल्ली	27190629
10.	उपायुक्त (उत्तर-पश्चिमी), गांव कंझावला, नई दिल्ली	23953785
11.	उपायुक्त (शाहदरा), आईएएफसी बिल्डिंग, एलएम बांध, शास्त्री नगर, दिल्ली	27190629

Annexure 'B'

DEPARTMENT OF SOCIAL WELFARE
GOVT OF NCT OF DELHI
GLNS COMPLEX, DELHI GATE
NEW DELHI-02

S.No.	Name of the NGO	Address	Contact Person Office/Mobile No.	Distt.	Sector/Field of working
1.	Society for the Rehabilitation of Physically Handicapped & Mentally Backward	B-37, gali No. 1. Opp. Shakti Mandir, East Azad nagar, Delhi-51	22237262, 23239930	Last	Hospital for Mentally Retarded Children
2.	Tarun Mitra Parishad	J-88, Laxmi Nagar, Delhi-92	--	Last	Vocational Training for Disabled
3.	Aradhana Parents Support Group	D-228(Basement) Vivek Vihar, Delhi-110095	---	East	Vocational Training for Mentally Disabled
4.	Manovikas Charitable Society	A- 267, Surajmal Vihar, Delhi-110092	-9811107772, 22377771 65422367	East	Vocational Training for visually challenged
5.	Rotary Delhi Central Charitable Trust	42-X, Karkardooma Institutional Area, Manglam Marg, New Delhi-110092	J.M.L. Tambi (Chairman) Mob.9810325868 Off. 22512199, 22370880	East	Rehabilitation of Locomotors Disable Persons & Hospital
6.	Tamanna Association	C-10/8 Vasant Vihar, Delhi	Dr. Shyama Chona (Founder) Mob. 9811270236 26148269, 26143853,26883853 26513432.	South West	Special School for Mentally Challenged Children
7.	Federation for the Welfare of Mentally Retarded(India)	Shaheed Jeet Singh Marg, Spl. Institional Area, New Delhi-67		South West	School for Mentally Retarded Children
8.	Asha Viklang Shaikshik Avam Punarvas Kendra (Regd.)	RZ-58-D, Gali No. 4, Mahavir Enclave, Palam Road, New Delhi	---	South West	School for Disable
9.	Muskan Parents Association for the Welfare of Children with Mental Handicapped	Sector-B, Pocket-2, Vasant Kunj, New Delhi.	Dr. Shanti Auluch (Director) Mob. 9891386995 26891727,26891747, 26566766	South West	Vocational Training for Mentally Challenged
10.	Association for Advancement & Rehabilitation of Handicapped	224 Vasant Enclave, New Delhi	Mrs. Asha Gupta (Director Principal Fax: 26144721 Ph: 26899044	South-West	Special School for Mentally Challenged Children
11.	Nirmal Jyoti Charitable Society	R-3, Sec.-D, Pocket-3, Vasantkunj, New Delhi.	Ms. Anatsy (Director) 26896965	South West	Rehabilitation of Persons with Disabilities & Special School
12.	Handicapped Children's Parents Association	Plot No. K (behind Plot No.13) Institutional Sector-5, Dwarka, New	K.N. Singh Mob.9971006165	South - West	Running home for spastics.

		Delhi-110075.	25088188		
13.	Amar Jyoti Charitable Trust	Karkardooma, Vikas Marg, Delhi-92	Dr.Uma Tuli (Founder Managing Secretary) Mob. 9811058000 Ms. Seema Tuli Principal Mob. 9899297346	South	School & Hospital for economically backward disabled
14.	Action for Ability Development & Inclusion	2 Balbir Sexana Marg Hauz Khas, Delhi	Dr. Divya Jalan, (Chairperson) G.Shayamala (Executive Director) Ms. Vandana Bedi Secretary,Consultant (Disability & Devt.) Off. 26966331, 26864714, 26569107	South	(5) Centre for Special Education (6) Home Management Programmme (7) Vishwakarma Training Centre (8) School of Rehabilitation Services
15.	Child guidance Centre Dr Jakri Husain Memorial Welfare Society	Jamia Milla Islamia, Jamia Nagar, New Delhi	Mr. Ashraf Ali Khan (G.S.) Mob. 9810973922	South	School for Disable Children
16.	Action for Autism	Pocket 7 & 8 Jasola Vihar, New Delhi		South	Education for Disabled Children
17.	Astha (Alternative Strategies for the Handicapped)	S-268, Greater Kailash-II, New Delhi	29219863,26449029, 30985439	South	Working for Mentally Handicapped Children
18.	Anchal Research Rehabilitation Centre	F 16 Naveen Shahdara, Delhi	--	North East	Special School for Mentally Retarded
19.	Organization of Understating and Fraternity. **Amended Name: Masoom Foundatin.**	2[nd] Floor, Indira Prakash, 21 Barakhamba Road, New Delhi *(159, Jor Bagh, Ground Floor, New Delhi-03)*	22437461 Fax: 23317758	New-Delhi	School for Mentally Retarded Children
20.	Association of National Brotherhood for Social Welfare	21-22, New Rohtak Road, New Delhi	23628641, 26123724, 25042949	Central	Treatment and medical care of mentally retarded children
21.	Prabha Institute of Fine Arts and Crafts for the Handicapped Persons	33, Aram Bagh Lane, Pahar Ganj, New Delhi	--	Central	Vocational Training for Ortho Mentally Retarded, Speech and Hearing Disabled
22.	Mother Home, Karuna Path Integrated Learning Rehabilitation Institute	Lions Charitable Hospital, G.T.Road, Libas Pur, Delhi	27299636, 9899335009	North West-I	Integrated Special School for Mentally Retarded Children
23.	National Association for the Blind.	R.K. Puram, New Delhi	26102944, 26176379, 26187650	West	Hostel for Visually impaired children
24.	Akhil Bhartiya Netraheen Sang(Regd.)	B-3 Block Opp. Cement Godown Raghubir Nagar, New Delhi-110027		West	Vocational Training for Visually Challenged

25.	AWWA Asha School for Disabled	Base Hospital, Delhi Cantt., Delhi-10	25691997	West	School and Hospital for Disabled Person
26.	Society for Child Development Cottage 15 Oberoi Appartments, Sham Nath Marg, Delhi-54	Cottage 15 Oberoi Appartments, Sham Nath Marg, Delhi-54	---	North	Vocational Training for Mentally Disabled
27.	Navy Wives Welfare Association Sankalp School)	Navy Wives Welfare Association, Nau Sena Bagh, Chanakya puri, Delhi	011-26194686	New Delhi	Special School (Integrated)
28.	Young Men's Christian Association	Jain Singh Road, New Delhi-01	011-23746032, Fax 23746035	South	Special school at Nizzamudin, Delhi.
29.	New Global Vision Society	A-14, Sector 8, Rohini, New Delhi-110085.	9811605286,011-27948146 011-27945852,011-2940294 Mukesh_mail@rediffmail.com	North-West-I	Working for rehabilitation of PWDs by imparting special education and training.
30.	Savera Rehabilitation Institute for Children (25.08.2011 to 24.08.2011)	3, Sainik Vihar, Pitampura, Delhi	011-27019537 011-27019749 drpsnarang@yahoo.com	North-West-I	Special School for Children with mental retardation, autism, cerebral palsy, multiple disabilities.
31.	John's Daycare & Boarding for Senior Citizens Association	C-5, A 312-B, Janakpuri, New Delhi (Certificate period-27.09.2011 to 26.09.2012)	011-26501513 Johns_betterworld@rediffmail.com	DSWO (South)	Services to the disabled senior citizens and spastic with multiple disabilities.
32.	Ekta Shakti Foundation.	A-112, 2nd Floor, Vikaspuri, New Delhi-110018	9810042747, 9899318333, 25341236	WEST	Brahm Shakti Special School
33.	International Society for Human Welfare & Rehabilitation (ISHWAR)	A-4, Naraina Indl. Area, Phase-I, New Delhi-110028	9312502055 45689944		
34.	D.A.V. College Trust & Management Society	Chitra Gupta Road, Paharganj, New Delhi-110055	47344757	Central	Kulachi Hansraj Manovikas Kendra,G-Block., Ashok Vihar, Phase-I, Delhi-110052
35.	Delhi health & Education Society	91/386/2, Ghazipur, Delhi	--	East	Special school and awareness programme
36.	The Delhi Society for the Welfare of Special Children	Okhla Centre, Okhla Marg, Delhi-25	Director - 26320014 26310896, 26310979, 26317120	South	School for children with special needs (mentally retarded)
37.	Usha Mahajan Memorial Social Service Sanstha	C/o Cozy Cot Special School, Community Centre, J.J.Colony, Palam Extn. Sector-7, Dwarka, New Delhi-72	President – 9811987712, 9312408234, Arvind Saxena- 9811063008	South-West	Running a Special School for Children with multiple Disabilities.